{भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ}

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2015

अधिसूचना

का.आ. 4569 (अ)- केंद्रीय सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 3 और 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) (इसके पश्चात् इसे अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 और धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग को पुनः गठित करती है और ऐसे आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, अर्थातः-

I. आंचलिक सदस्यः-

{उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन}

1.	पश्चिम अंचल	श्री विनय कुमार सक्सेना, 9, प्रेरणाकुटीर बंगला, सारथी होटल के समीप, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-53	पूर्णकालिक
2.	मध्य अंचल	श्री जयप्रकाश तोमर, गाँव व पोस्ट,-रुस्तामपुर बावली, तहसील-बरौट, जिला-बागपत, उत्तर प्रदेश	अंशकालिक
3.	पूर्वोत्तर अंचल	श्री नारायण चन्द्र बोरकातकी, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा), म.नं. 11, रूकमिनी नगर, गुवाहाटी-781006	अंशकालिक
4.	दक्षिण अंचल	श्री जी. चन्द्रमोइली, # 12-11-152/1, बौध नगर, वर्सीगुडा, हैदराबाद-560061, तेलंगाना	अंशकालिक
5.	पूर्व	डॉ. संगीता कुमारी, खादी भण्डार, मुजफ्फरपुर-842002 (बिहार)	अंशकालिक

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी / SURENDRA NATH TRIPATHI
अपर सचिव / Additional Secretary
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
उद्योग भवन, नई दिल्ली

II. गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य

{उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन}

		विषय	
(1).	श्री अशोक भगत, विकास भारती विष्णुपुर, 19 ग्रामयातन, आरोग्य भवन, 1-बारयातू रोड, रांची-834008, झारखंड	ग्रामीण विकास	अंशकालिक

III. पदेन सदस्यः

{उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंडों (ख क), (ग) और (घ) के अधीन}

(1) अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

(3) वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री विनय कुमार सक्सेना, अंचल सदस्य, (पश्चिम अंचल) को उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

3. आयोग के प्रत्येक सदस्य (पदेन सदस्यों को छोड़कर) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा।

फाइल सं. ए-43013/6/2015-केवीआई-पी

26/4/15

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

अपर सचिव एवं विकास आयुक्त

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी / SURENDRA NATH TRIPATHI
अपर सचिव / Additional Secretary
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
उद्योग भवन, नई दिल्ली
Udyog Bhavan, New Delhi